

दुमका समाहरणालय

(जिला भू-अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या-269/जि0भू0अ0 दुमका- 16/2016-17/ डी.एल.ए. दिनांक-24/4/17


चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, दुमका को यह प्रतिष्ठित होता है कि ग्राम-भंडारो, थाना-रामगढ़, थाना सं0-30, अंचल-रामगढ़, जिला-दुमका में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना एशियन विकास बैंक सम्पोषित दुमका-हसैडीहा पथ चौड़ीकरण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-भंडारो, थाना-रामगढ़, थाना सं0-30, अंचल-रामगढ़ में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.94 एकड़ या 02 बीघा 04 कट्टा 19 धुर या 0.380 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्र. सं.	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28	44	जमाबन्दी रैयत	वाड़ी दो	0.06	जर्नादिन पण्डा पिता-रतन पण्डा	43	62	सड़क	45
2		62		वाड़ी दो	0.06		44	62	सड़क	62
3	23	43	जमाबन्दी रैयत	वाड़ी दो	0.06	लाल मिर्धा	42	44	सड़क	43
4	4	42	जमाबन्दी रैयत	वाड़ी दो	0.12	विनोदानन्द झा पिता-सैलजा झा, वामेश्वर झा, प्रदीप कुमार झा, प्रफुल्ल कुमार झा	42	43	सड़क	42
5		145		वाड़ी दो	0.02	पिता-गुरु प्रसाद झा, प्रेमकान्त झा पिता-देवनाथ झा, श्रीकान्त झा, श्यामाकान्त झा	144	रास्ता	145	सड़क
6		135		वाड़ी एक	0.22	पिता-दुखी झा, निलेश झा पिता-जयकान्त झा, करुणा देवी पति-अमर झा, मिकुआ सोनु झा पिता-अरविन्द झा	131	138	135	सड़क
7		131		धानी एक	0.02		130	135	131	सड़क
8	19	143	जमाबन्दी रैयत	वाड़ी दो	0.09	लीबा मिर्धा, शिवा मिर्धा पिता-बुधन मिर्धा	138	144	143	सड़क
9		129		धानी तीन	0.01		127	130	129	सड़क
10	18	138	जमाबन्दी रैयत	वाड़ी एक	0.26	कालीचरण मिर्धा पिता-दरोगी मिर्धा, कैला मिर्धा पिता-देबा मिर्धा, संजय मिर्धा, मुकेश मिर्धा, राजेश मिर्धा पिता-चुनी मिर्धा	135	143	138	सड़क
11	13	130	जमाबन्दी रैयत	धानी एक	0.02	तेतरू कामरीन	129	131	130	सड़क

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ(60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 269/जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक- 27/4/17

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी दुमका/भूमि सुधार उप समाहर्ता दुमका/अंचल अधिकारी रामगढ़/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दुमका/हितबद्ध या संबंधित व्यक्तियों पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। अंचलाधिकारी रामगढ़ इस अधिसूचना की एक प्रति ग्राम के मुख्य स्थल पर अवश्य चिपकायेंगे।


उपायुक्त,
दुमका।


ज्ञापांक- 269/जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक- 27/4/17

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी जिला गजट शाखा दुमका को अगले अंक में प्रकाशित करते हुए पाँच-पाँच प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
दुमका।


ज्ञापांक- 269/जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक- 27/4/17

प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची एवं आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 269/जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक- 27/4/17

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दुमका को जिले के वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
दुमका।

दुमका समाहरणालय

(जिला भू-अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या- 270/जि0भू0अ0 दुमका- 36/2016-17/डी.एल.ए. दिनांक- 27/11/17


चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, दुमका को यह प्रतिगत होता है कि ग्राम-सिंघनी, थाना-सरैयाहाट, थाना सं0-35, अंचल-सरैयाहाट, जिला-दुमका में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना एशियन विकास बैंक सम्पोषित दुमका-हसँडीहा पथ चौड़ीकरण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-सिंघनी, थाना-सरैयाहाट, थाना सं0-35, अंचल-सरैयाहाट में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.10 एकड़ या 0 बीघा 06 कट्ठा 01 धुर या 0.040 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्र. सं.	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	37	जमाबन्दी रैयत	वाड़ी एक	0.07	राजो मियां पिता-होदल मियां	रास्ता	38	रास्ता	रास्ता
2	5	38	जमाबन्दी रैयत	वाड़ी एक	0.02	सुफली मियां, रहीम मियां, अलीमन मियां पिता-तुफानी मियां	39	37	रास्ता	37
3	5	34	जमाबन्दी रैयत	वाड़ी एक	0.01	जानु मियां पिता-होदल मियां	रास्ता	33	रास्ता	रास्ता

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।


भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ(60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 270/जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक- 27/11/17

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी दुमका/भूमि सुधार उप समाहर्ता दुमका/अंचल अधिकारी सरैयाहाट/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दुमका/हितबद्ध या संबंधित व्यक्तियों पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। अंचलाधिकारी सरैयाहाट इस अधिसूचना की एक प्रति ग्राम के मुख्य स्थल पर अवश्य चिपकायेंगे।


उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 270 / जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक- 27/4/17

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी जिला गजट शाखा दुमका को अगले अंक में प्रकाशित करते हुए पाँच-पाँच प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

Sahul
उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 270 / जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक- 27/4/17

प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

Sahul
उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 270 / जि0 भू0 अ0, दुमका दिनांक- 27/4/17

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दुमका को जिले के वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

Sahul
उपायुक्त,
दुमका।

Sahul
उपायुक्त,
दुमका।

Sahul
उपायुक्त,
दुमका।

Sahul
उपायुक्त,
दुमका।